

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 15, 2019/पौष 25, 1940 No. 12] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 15, 2019/PAUSHA 25, 1940

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2019

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2019

- सं. **आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.039.**—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात: -
 - 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, **2019** है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
 - 2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 6 के उप-विनियम (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में "कंपनी सचिवों" शब्दों के स्थान पर "सचिवीय लेखापरीक्षकों" शब्द रखे जाएंगे।
 - मूल विनियमों की अनुसूची । के प्ररूप क में "[समापन प्रारंभ होने की तारीख से तीस दिन बाद की तारीख लिखें]" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"[समापन प्रारंभ होने की तारीख से तीस दिन के भीतर वाली तारीख लिखें]"।

[विज्ञापन- ।।।/4/असाधा./490/18]

डा. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

315 GI/2019 (1)

िटप्पण:- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 130, तारीख 31 मार्च, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.010 द्वारा तारीख 31 मार्च, 2017 को प्रकाशित किए गए थे और इनमें अब तक संशोधन नहीं किया गया है।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2019

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (VOLUNTARY LIQUIDATION PROCESS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2019

No. IBBI/2019-20 /GN/REG039.—In exercise of the powers conferred by sections 59 and 208 read with clause (t) of sub-section (1) of section 196 and section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017, namely: -

- 1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 6, in sub-regulation (1), in the *Explanation*, in clause (c), in sub-clause (i), for the words "company secretaries", the words "secretarial auditors" shall be substituted.
- 3. In the principal regulations, in Schedule I, in Form A, for "[insert the date falling thirty days after the liquidation commencement date]", the following shall be substituted, namely:"[insert the date falling thirty days from the liquidation commencement date]".

[ADVT.-III/4/Exty./490/18] Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG010 on 31st March, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 130 dated 31st March, 2017 and these have not been amended so far.